

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU):

(a) The National Commission for Minorities was constituted under the National Commission for Minorities Act, 1992 on 17th May, 1993. The Commission had received various representations and also some complaints and upto end of March '94 their number comes to about 450. These include complaints regarding discriminations and other grievances of the minorities on account of compensation to the riot-affected persons, recruitment, bank, loans, police atrocities and non-implementation of 15-Point Programme etc.

Some of the complaints relate to non-recognition of minority managed educational institutions, permission to start technical educational institutions and admission to minority managed institutions. These relate to Article 30 of the Constitution about safeguard for the Right of Minorities to establish and administer educational institutions.

(b) Keeping in view the nature of complaints received by the Commission, the Commission has not demand it fit and proper to exerceise the powers of a Civil Court vested in it under the National Commission for Minorities Act 1992.

Gift Consignment Received from Foreign Donor Organisation

7296. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of bilateral agreements entered into by the Government with various foreign Government's on gift consignments received from donor organisations, during the last three years till date;

(b) the details of the supplies received as donation under the above agreements for relief and rehabilitation of the poor and the needy in this country; and

(c) the names of the approved recipient organisations in India which received these donated supplies duty-free alongwith the names of the approved foreign donor organisations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU):

(a) In the last 3 years till date no bilateral agreement has been entered into with any foreign government for gift consignments. The Government of India entered into the bilateral agreements with USA on 5.12.68, with U.K. on 20-10-64, with Germany on 24.7.68, with Switzerland on 9.8.66 and with Sweden on 20.9.66.

(b) and (c) The information will be collected and placed on the Table of the House.

मुसलमानों के लिए आरक्षण

7297. मौलाना अबुलुल्ला खान
आजमी :।

श्री श्री. पी. कोहली :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगठित इंडियन नेशनल लीग ने केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में 90 प्रतिशत मुसलमान पिछड़े हुए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राजनीतिक क्षेत्र में उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया है ;

(घ) क्या सरकार से इस आशय की मांग की गई है कि पिछड़े हुए मुसलमानों को 27 प्रतिशत आरक्षण का आधा हिस्सा उपलब्ध कराया जाए, उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जायें और शिक्षा संस्थाओं में उन्हें आरक्षण दिया जाए तथा पिछड़ी श्रेणियों की सूचियाँ तैयार करते समय

उनके नामों के आगे "हिन्दु" या "मुसलमान" शब्द तथा स्थिति, लिखे जायें ;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 1994 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रिजर्वेशन फार बैकवर्ड मुस्लिम अरजड" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. बी. तंकावालू) : (क) इस संबंध में इंडियन नेशनल लीग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ऐसे निष्कर्ष के समर्थन में सरकार के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सरकार को, मुसलमानों के पक्ष में आरक्षण की मांग करने संबंधी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करते समय नाम के आगे "हिन्दु" या "मुस्लिम" शब्द, जैसी भी स्थिति हो, लिखे जायें।

(ङ) जी, हां।

(च) संविधान के अनुच्छेद 16(4) में सरकार को, पिछड़े वर्ग के उन नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिए प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है जिनका राज्य के मतानुसार राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वे अल्पसंख्यक वर्ग जो अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित सूची में शामिल हैं, केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

गुजरात में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम

7298. श्री कनकासिंह मोहनसिंह मंगरौला : : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात में अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति ग्रामीण/ शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने उनके विकास के लिए कोई ममम-बढ़ कार्यक्रम तैयार नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" में हो, तो उन कार्यक्रम का व्योम क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. बी. तंकावालू) : (क) तथा (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार गुजरात में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के बारे में निम्नानुसार हैं :—

1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या :

कुल	41,309,582
ग्रामीण	27,063,521
बाहरी	14,246,061

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या :

कुल	3,060,358 (7.41%)
ग्रामीण	1,899,394 (07.02%)
बाहरी	1,160,964 (8.15%)